



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/856

दिनांक: 06.02.2026

को,
प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक आरओडीटीपी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में

संदर्भ: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 46/2025-26 दिनांक 05.02.2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर **वित्तीय वर्ष 2023-24** के लिए वार्षिक आरओडीटीपी रिटर्न दाखिल करने की अवधि को **31.03.2026** तक बढ़ा दिया है, जिसके लिए **15,000 रुपये का समझौता शुल्क देना होगा**। यह सूचना इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

विस्तारित तिथि तक एआरआर दाखिल न करने की स्थिति में, प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी), 2023 के पैरा 4.94 के अनुसार उपाय किए जाएंगे, जिसमें आरओडीटीपी लाभों से इनकार और स्क्रिप्स को रद्द करना शामिल है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: व्यापार करने में सुगमता और निर्यात प्रोत्साहन के हित में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक आरओडीटीपी रिटर्न (एआरआर) दाखिल करने की अवधि 30.11.2025 से बढ़ाकर 31.03.2026 कर दी गई है, जिसमें 15,000 रुपये का समझौता शुल्क लागू होगा।

संलग्न सार्वजनिक सूचना देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260206125444.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकोन्सिल